राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं –7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर –302016
फोन : 0141–4004914 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 17 ( )/काउ.(सत्र 2023–24)/रा.पै.मेडि.कौं/2024/24 दिनांकः– 14/2/24

–:: काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड हेतु समय–सारणी एवं दिशा–निर्देश::–

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा सत्र 2023–24 मे विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिसके क्रम में कौंसिल द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग का आयोजन किया जाकर पात्र/वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/संस्था व पाठ्यक्रम आवंटित किये जा चुके है, शेष आवेदक जिनको प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग में कोई भी महाविद्यालय/पाठ्यक्रम आवंटन नहीं हुआ है या जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउन्सलिंग में महाविद्यालय/संस्थान आवंटित होने के उपरान्त भी किसी कारण से अपनी उपस्थिति महाविद्यालय/पाठ्यक्रम में प्रस्तुत नहीं की गई है, तो ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है:–

<u>काउन्सलिंग स्थानः</u>– चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन के पास, आरटीडीसी स्वागतम हॉटल के पीछे, जयपुर

क्र. सं.	दिनांक	समय	प्रतिदिन आने वाले अभ्यर्थियों का विवरण
1	**19.02.2024 (सोमवार)**	09:30 AM	1. समस्त दिव्यांगजन (PH)/डिफेन्स (WPP-WDP)/विधवा/तलाकशुदा के कोटे के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
			2. टी.एस.पी. एवं सहरिया श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी।(सूची संलग्न)
			3. अनुसूचित जाति (महिला) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
		12:00 PM	4. अनुसूचित जाति (पुरूष) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
			5. अनुसूचित जनजाति (महिला) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
			6. अनुसूचित जनजाति (पुरूष) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
2	**20.02.2024 (मंगलवार)**	09:30 AM	7. एम.बी.सी. (महिला) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
			8. एम.बी.सी. (पुरूष) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
		11:00 AM	9. ओ.बी.सी. (महिला) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
3	**21.02.2024 (बुधवार)**	09:30 AM	10. ओ.बी.सी. वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी, जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा (12^{th}) में प्राप्तांक 73% से अधिक हो। (सूची संलग्न)
		2:00 PM	11. ओ.बी.सी. वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी, जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा (12^{th}) में प्राप्तांक 65% से 73% तक। (सूची संलग्न)
4	**22.02.2024 (गुरूवार)**	09:30 AM	12.ओ.बी.सी. वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी, जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा (12^{th}) में प्राप्तांक 58% से अधिक किन्तु 65% से कम। (सूची संलग्न)
		2:00 PM	13.ओ.बी.सी. वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी, जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा (12^{th}) में प्राप्तांक 40% से 58% तक। (सूची संलग्न)
5	**23.02.2024 (शुक्रवार)**	09:30 AM	14.ई.डब्लू.एस. (महिला) श्रेणी के अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
			15.ई.डब्लू.एस. (पुरूष) श्रेणी के अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
		02:00 PM	16.अनारक्षित (महिला) श्रेणी के अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)
			17.अनारक्षित (पुरूष) श्रेणी के अभ्यर्थी। (सूची संलग्न)

नोटः—

1. उपर्युक्त तालिका में यथावर्णित समस्त अभ्यर्थी संबंधित संलग्न सूची में अपना 'Token Number' नोट कर लेवें। काउन्सलिंग के दौरान इसी 'Token Number' से अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जावेगा।
2. **यह काउन्सलिंग सत्र 2023–24 का अन्तिम अवसर है, जिसमें श्रेणीवार अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीटों को मेरिट के अनुसार उपलब्ध अन्य वर्ग को आवंटित कर दिया जायेगा।**

उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित दिनांक व समय पर **चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन के पास, आरटीडीसी स्वागतम हॉटल के पीछे, जयपुर** में आवश्यक रूप से व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को पालन किया जाना आवश्यक हैः—

1. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड हेतु उपर्युक्त सारणी में वर्णित श्रेणी व मेरिट अनुसार उनके सामने अंकित दिनांक व निर्धारित समय पर अभ्यर्थी को स्वंय उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय पर अभ्यर्थी स्वंय उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे प्रकरणों में अन्य अभ्यर्थी को रिक्त सीट हेतु पात्र मानते हुए सीट आवंटित कर दी जावेगी। विनिश्चित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर उन्हें काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
2. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में Upward Movement किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
3. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में प्रथम, द्वितीय व तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग में रिपोर्टिंग/जोईनिंग कर चुके अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
4. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में अभ्यर्थी को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य हैः—
   - ऑन लाईन एप्लीकेशन फॉर्म
   - विकल्प पत्र।
   - 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)।
   - मूल निवास।
   - जाति प्रमाण पत्र।
   - आधार कार्ड एंव अन्य कोई भी फोटो पहचान आई.डी जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई।
   - राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Medical Fitness Certificate)।
   - अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय प्रस्तुत किये हों जैसे P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।**
5. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त मूल दस्तावेजों के अभाव में काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में शामिल नहीं किया जावेगा।
6. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत अंक–तालिकाओं (कक्षा 10वीं व 12वीं) का मिलान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी समकक्षता निर्धारित करने संबंधित अनुदेशिका से किया जावेगा, कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड की समकक्षता नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग हेतु अपात्र माना जावेगा अथवा अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु सीट आवंटित नहीं की जावेगी।
7. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
8. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय)

से उत्तीर्ण की गई है। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।**

9. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2023 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।
10. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में आवंटन किया जावेगा।
11. काउन्सलिंग के मॉप–अप राउण्ड में यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन **(Physical Handicapped)** श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु योग्य पाये जाने के उपरान्त ही आवंटित संस्थान में उपस्थिति देनी होगी।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– प. 17 ( )/काउ.(सत्र 2023–24)/रा.पै.मेडि.कौं/2024/ **दिनांकः–**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. सचिव, चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
7. M/s Micronic Infotech Services Pvt. Ltd. Ajmer को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. परीक्षा नियत्रंक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. सचिव, चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन के पास, आरटीडीसी स्वागतम हॉटल के पीछे, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, संबद्ध समस्त पैरामेडिकल राजकीय व निजी महाविद्यालय/संस्थान, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
11. संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
12. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आज ही वैबसाईट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार